

शायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाडमेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2017/2531

दिनांक - 30.11.17

प्राथीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

कौशलाराम पुत्र
बुदराराम 2 कानाराम
3 पेमाराम 4 अनाराम
पिसरान खीमाराम
जाति जाट निवासी
सुरा जांगीर तहसील
व जिला बाडमेर।

1 खेराजराम 2 भीमाराम 3 नगाराम 4 गोडाराम पिसरान
सुराराम 5 जुगताराम 6 बाबूराम पिसरान हमीराम 7
संजय पुत्र माधूराम 8 गटका पत्नी माधूराम जाति मेघवाल
निवासी केरावा 9 चुतराराम पुत्र वीजाराम जाति भील
निवासी सुरा जांगीर 10 कोजाराम 11 वरजू पिसरान
जानाराम 12 खेताराम पुत्र गोकलाराम 13 बादली पत्नी
गोकलाराम 14 तुलछाराम 15 चेतनराम पिसरान उतमाराम
16 गांगाराम पुत्र विस्धाराम 17 बाजी पत्नी विस्धाराम जाति
मेघवाल निवासी सुरा जांगीर 18 बलवंतसिंह 19 पीरसिंह
पिसरान लखसिंह 20 भूरसिंह 21 मुकनसिंह 22 अम्मेदसिंह
23 गारसिंह पिसरान बहादूरसिंह 24 नारायणसिंह पुत्र
तुलछसिंह 25 दानसिंह पुत्र अगरसिंह 26 वनणसिंह पुत्र
नगरसिंह 27 आम्बसिंह पुत्र जामतसिंह जाति राजपूत
निवासी सुरा नरपतान तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 2266/2016

दिनांक- 30.11.17

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुरा जागीर पटवार क्षेत्र सुरा तहसील व जिला बाडमेर के
खसरा संख्या 235 रकबा 19.03 बीघा खसरा संख्या 254 रकबा 0.12 बीघा एवं खसरा
संख्या 443/25, 444/255, 445/255, 446/255 कुल रकबा 84.08 बीघा भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती
है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

दिनांक- 30.11.17

क्रमांक :- रीडर/2017/2512-91

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सुरा तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को गय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. कौशलाराम पुत्र बुदराराम वगैराह जाति जाट निवासी सुरा जांगीर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी खेराजराम पुत्र सुराराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी केरावा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर